कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

वाद अभिलेख सं0 328/2017-18 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act, 1950)

आदेश पत्रक सं0 .... से .... तक

वाद का प्रकार :- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्रमांक तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
2·01·18	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू0-अर्जन-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0-3 -खा0म0निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा सुन्दारी थाना तोरपा खाता सं0 208 प्लॉट सं0 865/1888 रकबा 3.74 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... पृष्ठ सं0 .... पर जमाबंदी रैयत अभिराम मु0 05 पिता/पति का नाम .... से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू0-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण-पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 27·01·18 को उपस्थापित करें। [signature] 2/01/18 लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी तोरपा।	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई टि आदेश

अभिलेख उपस्थापित,

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार मौजा–चुरगी, खाता संख्या 208, प्लॉट संख्या–865/4887, रकबा–3.74 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खाते से संबंधित नहीं है। तथा मौजा चुरगी में आवेदित खाता सन्निहित नहीं है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मौजा–चुरगी, खाता संख्या 208, प्लॉट संख्या–865/4887, रकबा–3.74 एकड़ भूमि की भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4-h के तहत् प्रारंभ की गई इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

28.9.21

अंचल अधिकारी

28.9.21

अंचल अधिकारी

तोरपा

संदिग्ध /अनियमित जमाबंदी से संबंधित

:- चेकलिस्ट :-

वाद सं0 :- 328

1. जिला एवं अंचल का नाम :- खूँटी, अंचल-तोरपा
2. (क) अवैध जमाबंदीदार का नाम :- अमीराम उरांव -

   (ख) अवैध जमाबंदी में सन्निहित भूमि की विवरणी :-

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
चुरगी	50	208	865/4887	3.74		

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :-
4. अनियमित जमाबंदी पंजी II में कब से संधारित है और किसके नाम से ? :-
5. अनियमित जमाबंदीदार द्वारा आवासीय सहित पूर्व से धारित कुल भूमि का रकबा :-
6. नामांतरण/दाखिल खारिज के उपरांत संधारित जमाबंदी के मामलों मे मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार :-
   (i) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-
   (ii) लगान निर्धारण एवं उसका वर्ष :-
   (iii) अवैध भू बंदोबस्ती (वाद सं0 के साथ) भू-दान सहित :-
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथा कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य :-
9. अवैध जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-
   (i) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिर्टन से :-
   (ii) अंचल/अनुमण्डल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :-
   (iii) दाखिल खारिज/भू हरतांतरण नामांतरण पंजी से :-
10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

   (ख) क्या दिनांक 01.01.'1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद साल दरसाल निर्गत है :-

(7–10 के सामने हस्तलिखित: N.A.)

11. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद राजस्व रसीद निर्गत है?

12. वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड बुझारत पंजी मे दखल कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था?

13. राजस्व उप निरी0 का जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रस्ताव :–

मौजा- चुरगी में, आवेदित खाता सन्निहित नहीं है, और न आवेदक (वादी) के नाम से कोई गैरमजरूआ खाता की जमाबंदी चल रही है अतः ऐसी परिस्थिति में 4(h) की कार्रवाही समाप्त की जा सकती है।

RSI

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जांचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रस्ताव :–

4(h) की कार्रवाही समाप्त की जा सकती है।

CI

राजस्व उप निरी0	अंचल निरीक्षक	अंचल अधिकारी तोरपा	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खूँटी	अनुमण्डल पदा0 खूँटी	अपर समाहर्त्ता/ अपर उपायुक्त खूँटी	उपायुक्त खूँटी

Digitally signed by Sachidanand Kumar Verma
Date: 2021.09.29 15:17:11 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cc3:3a72:62dc:f321